

स्थल निरीक्षण टीप दिनांक 10.07.2018

(भाग 2 के बिंदु क्रमांक 11)

प्रस्तावित परियोजना का नाम - करेगांव-गट्टासिल्ली-बिरगुड़ी मार्ग चौड़ीकरण

- परियोजना में प्रभावित वनभूमि - 25.147 हेक्टेयर
- पंजीयन क्रमांक/दिनांक - FP/CG/ROAD/24377/2017 Date 15.03.2017
- परियोजना में प्रभावित स्थल का विवरण -

परिक्षेत्र का नाम	वनखण्ड का नाम	आरक्षित वन कक्ष क्रमांक
1	2	3
बिरगुड़ी	180 चोटगांव कुंआ, उत्तर चोटगांव	464, 463, 451, 461, 450, 460, 446, 447
	169 पालगांव गोदलानाला	437, 431, 429, 432, 413, 412, 415, 414
करेगांव	90 डोकांल, 93 करंदास	106, 129, 131

- प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व - 0.4 से 0.6
- प्रस्तावित क्षेत्र की साइट क्वालिटी - III एवं IV
- प्रत्याशा मूल्य की अनुमानित राशि - 1,93,85,921.00
- प्रस्तावित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का विवरण -
महासमुंद वनमंडल के महासमुंद परिक्षेत्र के अन्तर्गत बेलर परिसर के कक्ष क्रमांक 438, रकबा 18.300 हेक्टा वनखण्ड गौरखेडा एवं धनसूली परिसर के कक्ष क्रमांक 444, रकबा 32.00 हेक्टा वनखण्ड केशवा में कुल रकबा 50.300 हेक्टा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित है।
- भाग 2 के कॉलम नं. 7 (XI, XII), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए टीप- धमतरी वनमंडल के करेगांव एवं बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वागिकी कार्य (करेगांव-गट्टासिल्ली-बिरगुड़ी मार्ग चौड़ीकरण) हेतु प्रस्तावित वनभूमि में दुर्लभ एवं संकटापन्न प्रजाति के वनस्पति एवं प्राणिजात पाये जाते हैं (जिसका विवरण पेज नं.04 में है) और प्रस्तावित स्थल में किसी प्रकार का पुरातत्वीय, पारंपरिक स्थल, रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है। प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता मार्ग चौड़ीकरण के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। आवेदित स्थल में किसी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।


वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल धमतरी